

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1838 / 2024


दिनांक 21.05.2024

श्री विजय प्रताप गोस्वामी (RJ0949), तत्कालीन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरु) हाल अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 26.03.2024 से 27.03.2024 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 23.03.2024 से 25.03.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गोस्वामी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु/अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरु) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/116/2015/ 4022

दिनांक :21.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 3119 दिनांक 03.05.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री विजय प्रताप गोस्वामी (RJ0949), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरु) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु।

  
21/5/2024  
सहायक रजिस्ट्रार